

आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE, GANDHINAGAR सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009 Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स \255/2017/Integrated Tax Trade Notice No.\255/2017/ Integrated Tax

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The following notifications issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है

क्रम	अधिसूचना / परिपत्र सख्या	दिनांक	फ़ा सख्या
1	15/2017-Integrated Tax (Rate)	30.06.2017	DGEP/SEZ/09/2017
2	16/2017-Integrated Tax (Rate)	30.06.2017	354/117/2017-TRU
3	17/2017-Integrated Tax (Rate)	05.07.2017	DGEP/SEZ/09/2017
4	18/2017-Integrated Tax (Rate)	05.07.2017	DGEP/SEZ/09/2017

अधिसूचना/ अधिसूचनाएँ स्वतः स्पष्ट है।

Notification is self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मूण्ड्ल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सद्स्यों से य्'ह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सद्स्यों / विनिम्नाताओं के ध्यान में ला दें।

All JDC/JAC of CGST, GANDHINAGAR are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निदेश दिये जाते है कि वे अपने प्रभार के सभी अधीन्स्थ परिक्षेत्र अधिकारीयों के ध्यान में ला दे।

Joint CommissionerCENTRAL GOODS & SERVICES TAX
GANDHINAGAR

दिनांक: 07.07.2017

फा.सं. IV / 16-21 / MP / 2017-TN

प्रतिलिपि प्रेषितः प्रशासनिक अधिकारी, केउशु, गांधीनगर को, विभागीय डाक सूची के अनुसार इस परिपत्र का परिसंचरण करने के लिए।

Copy to: Administrative Officer (ADM), C.Ex., H.Q., CGST Gandhinagar, for circulation of this Circular as per mailing list of Department.

2. The Superintendent, System, H.Q., C.Ex. Gandhinagar to upload on website.